## समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा/2017/4949

नि.प्र.क्रमांक –

प्रस्तुत दिनांक –

निगरानीकर्ता/ – 1. प्रभाबाई बेवा जगदीश आयु 55 वर्ष

2. सतीश आ. जगदीश

पुनरीक्षणकर्तागण

दोनों जाति माली निवासी चौबे कालोनी हरदा

तहसील व जिला हरदा म.प्र.

**विरूद्ध**

उत्तरदाता – रामकृष्ण विमुढ़ आ. भीलूजी

ओर से गलत संरक्षक गुलाबबाई पुत्री भीलू पत्नि हुकुमचंद्र उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी दूधकच्छकलां तह. रहटगांव जिला हरदा म.प्र. ।

**स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959–**

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, टिमरनी के अ.प्र.कं.1 अ 6 वर्ष 2015–16 ग्राम दूधकच्छकलां में लिखी आदेशिका दिनांक – 17.06.2016 से दुख एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करने की अनमति चाहता है ।

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

---

### अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2018/4949

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13-3-2018 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्ता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17-6-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 7-11-2017 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन-पत्र में विलम्ब के संबंध में दर्शाये गये आधार समाधान कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |